


22

समक्षा, न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक :



प्रस्तुति दिनांक :

गिराणी-4209/2018/कोर्ट/ग्वा.

श्री. कुकडा अशोक  
द्वारा आज दि. 6.7.18 को  
प्रस्तुत प्रारम्भिक वर्क हेतु  
दिनांक 12.7.18 नियत।

कोर्ट ऑफ कोर्ट 6.7.18  
दमोह न्यायालय, म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती गोदा सिंह उर्फ राजकुमारी उम्र 56 वर्ष  
पिता स्व. पूरन सिंह राजपूत
2. महेन्द्र सिंह उम्र 50 वर्ष पिता स्व. पूरन सिंह राजपूत  
दोनों साकिन उदयपुरा, तहसील हटा, जिला दमोह  
मध्यप्रदेश

... पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण

॥ बनाम ॥

श्री. कुकडा अशोक  
6.7.18 कोर्ट  
ग्वालियर

1. अशोक सिंह पिता प्रीतम सिंह राजपूत  
साकिन हिनौता कलौ, तहसील हटा, जिला दमोह
2. हाकम सिंह पिता बलवान सिंह राजपूत
3. मुलायम सिंह पिता स्व. कोमल सिंह राजपूत  
दोनों साकिन उदयपुरा, तहसील हटा, जिला दमोह

... उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं. 1959 के तहत।

पुनरीक्षण खिलफ- न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी/पंजीयक नहोदय, सार्वजनिक न्यास हटा, तहसील हटा जिला दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक 3ब/113, वर्ष 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 8.5.2018 के विरुद्ध।

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्न निवेदन प्रस्तुत है:-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम उदयपुरा प.

ह.नं. 28 तहसील हटा, जिला दमोह में मंदिर श्री श्री 108 श्री गौरीशंकर जी भगवान का एक मंदिर है, उक्त मंदिर अनुविभागीय


2

XXXIX(a)-BR(H)-11

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
प्रकरण क्रमांक. निगरानी - 4209 / 2018 / वमोह / भू.रा.सं.सि.स.  
जिला  
श्री दत्त सिंह विरुद्ध अधिकारी सिंह, वमोह.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>10/10/18</p>	<p>- प्रकरण प्रस्तुत / आवेदन के संबंध में मुकेश भागवत को सुना गया।</p> <p>(2) प्रस्तुत निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा के आवेदन दिनांक 08.05.2018 के विरुद्ध दिनांक 06.07.2018 को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>(3) म.प्र. भू.रा.सं.सि.स. 1959 में किये गये संशोधन 2018 के अंतर्गत SDO के आवेदन के विरुद्ध निगरानी कलेक्टर द्वारा सुनी जायेगी।</p> <p>(4) अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये। आवेदन दिनांक 18/12/18 को सक्षम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे।</p> <p>CF. 18/12/18. <u>                    </u> 10/10/18</p>	

17